land may also be granted to such a person if his house has so been damaged that it can not be reconstructed on the same site.

I am accordingly directed to say that necessary action may kindly be taken to grant land in exchange or otherwise as the case may be, as indicated above in such cases if a request for land, in such circumstances, is received. In this behalf, it may kindly be noted that:—

1. The provisions of the relevant scheme shall apply, mutatismutandis, to such grant of exchange of land so far as other aspects are concerned;
2. The concession shall be available to the small and marginal farmers only;
3. It will be applicable to those persons only whose lands/houses have been damaged in recent rains/floods; and
4. The grant/exchange of land shall be sanctioned by the Deputy Commissioner concerned:

Yours faithfully,
Sd/-
Deputy Secretary (Rev.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. 9-13/71-Rev.B. Dated Shimla-171002, the 8-11-1988.
Copy forwarded to:—
1. Clerk of Court to Financial Commissioner (Appeals) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2 for information.
2. The Under Secretary (Rev.) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2 for information (with 10 spare copies).

Deputy Secretary (Rev.) to the
Government of Himachal Pradesh.

संख्या : रैव 9-13/71-रैव-बी
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व (रैव) अनुभाग ।

प्रेषक,

अवर सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित,

1. उपायुक्त, किन्नौर स्थित कल्पा, हि. प्र. ।
2. उपायुक्त, लाहौल स्पीति स्थित केलांग, हि प्र. ।
3. उपायुक्त, शिमला, हि. प्र. ।
4. उपायुक्त, चम्बा, हि. प्र. ।

दिनांक शिमला-2, 23 नवम्बर, 1990.

विषय :- नौतोड़ भूमि पर लगे प्रतिबन्ध के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सरकार के ध्यान में आया है कि जन-जातीय क्षेत्र में नौतोड़ भूमि इस कारण नहीं दी जा रही है कि सरकार ने नौतोड़ देने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है । इस सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि जो आदेश इस विभाग के समसंख्यक टैलैक्स दिनांक 19-3-1990 को जारी किये गये है वे जन-जातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होते । जन-जातीय क्षेत्रों में नौतोड़ के बारा इस विभाग के पत्र संख्या : 9-13/71-रैव-बी, दिनांक 11-2-88 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें पहले भी इस विषय पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है । अतः यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जन-जातीय क्षेत्रों में नौतोड़ भूमि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और इन क्षेत्रों में आवेदन पत्रों का निपटारा हिमाचल प्रदेश नौतोड़ अधिनियम, 1968 के तहत ही किया जाए ।

भवदीय

हस्ता/-

अवर सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।